२३-१-२३ प्रतिवादी सं० 1 के वकील द्वारा वकालतनामा पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रतिवादी सं० 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के वकील को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत इकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण एवं विधि द्वारा वर्जित होने के से खारिज किया जाता है। विस्तृत कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना